रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

महताव राय उ0मा0विधालय
सिकन्दरा, एटा ।

पत्रांक : मा० शि० प०/मान्यता (मे०) 138 मेरठ : दिनांक 24-4-2006

विषय : सीधे/हाई स्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था महताव राय उ0मा0विधालय, सिकन्दरा, एटा । को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2007 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्तविहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें ।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी ।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे ।

(कृ० प० उ०)

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) विद्यालय में कक्षा 9-10 के अतिरिक्त अन्य संचालित कक्षाएं अमान्य होगी तथा वह कक्षाएं विद्यालय का भाग नहीं होगा ।

(ग) परिषद के विनियम-11-"ट" अध्याय-7- के अनुसार बालक विद्यालयों में बालिकाओं का प्रवेश मान्य नहीं है।

टिप्पणी—इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।
19.4.06

पृष्ठांकन सं० : मा० शि० प०/मान्यता (मे०) दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिला विद्यालय निरीक्षक: एटा ।
2–संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक: आगरा ।
3–हाई स्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।
4–सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद ।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)–62 मा० शि० प० – 18-9-2001—10,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट) ।

Scanned with OKEN Scanner